न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री अनुराग भार्गव आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 125 / 2020 / अपील / एल0आर0एक्ट / कोटा
दायरा दिनांक 20.2..2020
किस्म अपीलः धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. मनभर बाई बेवा मोहनलाल जाति बलाई
2. नरेन्द्र कुमार आत्मज मोहनलाल जाति बलाई
3. सुनीता बाई पुत्री मोहनलाल जाति बलाई
   निवासीगण ग्राम बोरीना कला तहसील सांगोद जिला कोटा।

....अपीलार्थीगण

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद ।

....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री घनश्याम नागर अभिभाषक–अपीलार्थी
श्री सैफुद्धीन अंसारी राजकीय अभिभाषक–रेस्पो0

:: निर्णय ::

दिनांक 9.11.2021

अपीलार्थी मनभर बाई वगेरा द्वारा, न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा ने प्रकरण सं0 प्रा. पत्र निर. आवं. / 51 / 2001 अन्तर्गत नियम 14 (4) राज0 राज0 भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 बउनवान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा बनाम श्रीमती मनभर बाई (बेवा) एंव नरेन्द्र कुमार ना0 बा0 (पुत्र) तथा सुनीताबाई ना0बा0 (पुत्री) वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 23.5.2001 की अप्रसन्नता से रेस्पोडेन्ट, सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद के विरूद्ध राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रथम अपील इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार सांगोद द्वारा ग्राम बोरीनाकंला तह0 सांगोद की अपीलार्थी को दिनांक 2.6.92 को कृषि प्रयोजनार्थ आंवटित आराजी खसरा नम्बर मि0 338 की 4 बीघा पर आवंटी का कब्जा नहीं होने से आवंटन शर्तो की पालना नही किया जाना वर्णित करते हुये आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रार्थना पत्र राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 23.5.2001 से स्वीकार कर उक्त आवंटन को निरस्त किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत प्रथम अपील न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना निर्णय पारित किया है। इस तथ्य पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नही दिया कि उक्त आवटित भूमि पर अपीलांट्स के मृति / पिता का कब्जा काश्त रहा है तथा उनके स्वर्गवास के बाद से

अपीलांटस काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वक्त निर्णय अपीलांट क्रम 1 व 2 नाबालिग थे जिन्हे अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई हेतु नोटिस जारी नही किया तथा बिना नोटिस व सूचना के निर्णय पारित कर दिया। रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे 3 बीघा भूमि का कब्जा स्वीकार किया है उसके बावजूद भी आवंटन खारिज करने का आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। उक्त आराजी को अपीलांट समीपवर्ती काश्तकार होने से आवंटन की गई थी। आवंटन के पेटे कोई राशि बकाया नही है। आवंटन शर्तो की पालना की है। आवंटन नियमों का किसी प्रकार उल्लधंन नही करने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटन निरस्त करने का जेरअपील निर्णय पारित करने मे त्रुटि की है। अतः जेरअपील आदेश अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.5.2021 निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।

2 अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील, दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने बहस मे अपील मीमों मे कहे गये कथनों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलांट आवंटी के वारिसान है ऐसी स्थिति मे तीनों वारिसन को अलग–2 नोटिस जारी किया जाना चाहिये था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने नाबालिग को नोटिस जारी नही कर एक पक्षीय कार्यवाही नाबालिग के विरूद्ध कर जेरअपील निर्णय पारित करने मे विधिक त्रुटि की है। अपीलग्रस्त भूमि पर अपीलांट के पिता/पति (आवंटी) का कब्जा रहा है तथा उनके स्वर्गवास के बाद अपीलांट काबिज काश्त है। बहस मे बताया कि आवंटन वर्ष 1992 का जिसको वर्ष 2001 मे निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय अवैधानिक होने से निरस्त करने का अनुरोध किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे कथन किया आवंटन के पश्चात आवंटन शर्तो के मुताबिक आवंटी द्वारा भूमि पर काश्त नही कर आवंटन शर्तो की अवहेलना की है ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय उचित है। बहस मे यह भी बताया है कि अपीलांट द्वारा आवंटन शर्तो की पालना मे भूमि पर कब्जे काश्त के संबध मे कोई रिकार्ड पेश नही किया है। अतः अपील आधारहीन होने से खारिज की जाने योग्य है।

5. हमने पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की है। डिले कन्डोन हेतु प्रार्थना पत्र एंव उसके समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया गया। रेस्पो0 ने शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों का खण्डन नही किया है ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर ही पेश किया है ऐसी स्थिति मे शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है। लिहाजा अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6. अपील प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का अवलोकन करने उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि वादग्रस्त भूमि

आपीलार्थीगण के पिता/पति को दिनांक 2.6.92 को आवंटित की गई थी। तहसीलदार सांगोद द्वारा उक्त आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नही होने तथा आवंटन शर्तो की पालना नही करने के कारण आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया तथा अपीलार्थीगण (प्रार्थीगण) बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर आवंटन के पश्चात विवादित भूमि पर अपीलांट (अप्रार्थी) का कब्जा नही होने से नियम 14 (4) के प्रावधानों का उलंधन किये जाने से आवंटन को जेरअपील निर्णय दिनांक 23.5.2001 से निरस्त किया है। हस्तगत अपील प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अपीलांट आवंटी के वारिसान है ऐसी स्थिति मे तीनों वारिसन को अलग–2 नोटिस जारी किया जाना चाहिये था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने नाबालिग को नोटिस जारी नही कर एक पक्षीय कार्यवाही नाबालिग के विरूद्ध कर जेरअपील निर्णय पारित किया है। प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट का यह भी तर्क रहा है कि आवंटी अपीलांट के पिता/पति का तथा उनके स्वर्गवास के बाद अपीलांट का भूमि पर कब्जा काश्त रहा है। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख से अपीलांट के उक्त कथन की पुष्टि नही होती है। अपीलांट द्वारा अपने उक्त कथन के समर्थन मे हस्तगत अपील प्रकरण मे किसी प्रकार के साक्ष्य एंव रेकार्ड प्रस्तुत नही किया है जिससे आवटित वादग्रस्त भूमि पर उसके कब्जे काश्त की पुष्टि होती हो। ऐसी स्थिति मे समुचित आधार अभिलेख के अभाव मे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नही है। परिणामस्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती है।

6 निर्णय आज दिनांक 9.11.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया/टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अनुराग भार्गव)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा